भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5195

(दिनांक 24.07.2019 को उत्तर के लिए)

अनुबंध आधार पर पदों की भर्ती

5195. श्री प्रवीन कुमार निषादः
क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के सभी विभागों में समूह-ग और समूह-घ के सभी पदों पर नियुक्ति रोक दी गई है और इनमें अनुबंध आधार पर भर्ती होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समूह-ग और घ के पदों की अनुबंध आधारित भर्ती के कारण दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण करने वाले युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है, चूंकि इन दोनों श्रेणियों में ऐसे युवा बहुत बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त श्रेणियों में पुनः स्थायी भर्ती शुरू करने पर विचार कर रही है जैसे पहले किया जाता था;

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक होने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह

(क) और (ख) : जी, नहीं। समूह-III (अब समूह-ग) के पदों पर भर्ती को रोका नहीं गया है। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के उपरांत, समूह 'घ' पदों को समूह 'ग' पदों के साथ मिला दिया गया है।

(ग) से (च) : सरकारी विभागों/मंत्रालयों में पूर्ववर्ती समूह 'घ' पदों सहित समूह 'ग' पदों पर भर्ती करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु और/अथवा नए पदों के सृजन के कारण रिक्तियां होती हैं। ऐसी रिक्तियां नियमित प्रकृति की होती हैं और भर्ती एजेंसियां जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, आदि ऐसे पदों पर भर्ती के लिए नियमित रूप से परीक्षाएं आयोजित कर रही हैं।

******